न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1– निगरानी/एलआर/2006/483/सीकर.

मोहनलाल पुत्र मंशाराम जाति ब्राहम्ण (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/1. गुलाब देवी पत्नी मोहनलाल (नाम तर्क)
1/2. रामेश्वर लाल पुत्र मोहनलाल,
1/3. नरेश पुत्र मोहनलाल,
1/4. सुरेश पुत्र मोहनलाल,
1/5. महेश पुत्र मोहनलाल,
1/6. प्रकाश चन्द पुत्र मोहनलाल,
1/7. गिर्राज पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम दूजोद तहसील सीकर।
1/8. निर्मला देवी पत्नी वैजनाथ पुत्री मोहनलाल, निवासी वार्ड नं. 19, सीकर।
1/9. ललिता देवी पत्नी हरिप्रसाद पुत्री मोहनलाल ब्राहम्ण निवासी सेरागेसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1– सूर्यनारायण पुत्र म्होरीलाल,
2– प्रेमप्रकाश पुत्र म्होरीलाल,
3– बाबूलाल पुत्र म्होरीलाल,
4– दिनेश कुमार पुत्र म्होरीलाल,
5– शिवकुमार पुत्र म्होरीलाल,
6– पूर्णी देवी पत्नी म्होरीलाल (नाम तर्क)
समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पोस्ट दूजोद तहसील सीकर।
7– गोपीराम पुत्र सेवाराम,
8– हरीराम पुत्र सेवाराम जाति जाट निवासी कदमा का बास, तहसील जिला सीकर।

.....अप्रार्थीगण

———

2– निगरानी/एलआर/2006/484/सीकर.

मोहनलाल पुत्र मंशाराम जाति ब्राहम्ण (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/1. गुलाब देवी पत्नी मोहनलाल,
1/2. रामेश्वर लाल पुत्र मोहनलाल,
1/3. नरेश पुत्र मोहनलाल,
1/4. सुरेश पुत्र मोहनलाल,
1/5. महेश पुत्र मोहनलाल,
1/6. प्रकाश चन्द पुत्र मोहनलाल,
1/7. गिर्राज पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम दूजोद तहसील सीकर।

1/8. निर्मला देवी पत्नी वैजनाथ पुत्री मोहनलाल, निवासी वार्ड नं. 19, सीकर।

1/9. ललिता देवी पत्नी हरिप्रसाद पुत्री मोहनलाल ब्राहम्ण निवासी सेरागेसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1– सूर्यनारायण पुत्र म्होरीलाल,
2– प्रेमप्रकाश पुत्र म्होरीलाल,
3– बाबूलाल पुत्र म्होरीलाल,
4– दिनेश कुमार पुत्र म्होरीलाल,
5– शिवकुमार पुत्र म्होरीलाल,
6– पूर्णी देवी पत्नी म्होरीलाल,
समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पोस्ट दूजोद तहसील सीकर।
7– महेन्द्र सिंह पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील सीकर।

.....अप्रार्थीगण

एकल–पीठ

श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

उपस्थितिः

श्री श्यामबाबू पारिक, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण।
श्री हरलालसिंह, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः– 08/04/2025.

1– हस्तगत निगरानियां राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–84 के तहत् न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा अपील संख्या–40/2005 एवं 41/2005 में पारित निर्णय दिनांक 25–10–2005 के विरूद्ध पेश की गई है।

चूंकि उक्त दोनों निगरनियों के तथ्य, पक्षकार एवं विवादित बिन्दु लगभग समान होने से इनका एक साथ निस्तारण इस निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है, जिनकी एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जाये।

2– निगरानी याचिकाओं के अनुसार हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी प्रार्थी मोहनलाल ने ग्राम मण्डावरा स्थित भूमि खसरा संख्या 92 एवं 96 बाबत् पारित नामांतकरण संख्या 236 व 237 से व्यथित होकर दो अपीलें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,

सीकर के समक्ष पेश कर कथन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी काबिज काश्तकार है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से अप्रार्थी प्रत्यर्थी सं0 1 से 6 का नाम दर्ज होने से प्रार्थी मोहनलाल द्वारा खातेदारी घोषणा का वाद मय अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र सहित न्यायालय सहायक कलक्टर, सीकर के समक्ष पेश किया, जिसके विचाराधीन रहते प्रत्यर्थी अप्रार्थी सं0 1 से 6 ने एक नुमाईशी विक्रय पत्र दिनांक 29-7-1999 को प्रत्यर्थी अप्रार्थी सं0 7 व 8 गोपीराम व हरिराम एवं महेन्द्रसिंह के नाम पंजीबद्ध कर दिया। ग्राम पंचायत मण्डावरा ने उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर आक्षेपित नामांतरकरण सं0 236 व 237 दिनांक 05-8-99 को गोपीराम, हरिराम एवं महेन्द्रसिंह के नाम तस्दीक कर दिये गये, जिनसे व्यथित होकर प्रार्थी मोहनलाल पुत्र मंशाराम ने उपखण्ड अधिकारी, सीकर के समक्ष दो अपीलें पेश की कि उन्हें नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, न ही वादग्रस्त आराजी के कब्जे काश्त बाबत ग्राम पंचायत ने कोई जांच की। यह भी कथन किया कि अप्रार्थी सं0 1 से 6 के पिता का सुखदेव के गोद चले जाने से उनका इस आराजी पर कोई सम्बंध व सरोकार नहीं है। ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 05-8-1999 को कोई बैठक नहीं हुई, गुपचुप रूप से नामांतरकरण को तस्दीक करने की कार्यवाही की गई है। अतः नामांतरकरण सं0 236 एवं 237 दिनांक 05-8-1999 को निरस्त किया जावे।

इसके जवाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थी सं0 1 से 6 के हक में मोहरीलाल की विरासत के समय भरे गये नामांतरकरण सं0 144 की भी प्रार्थी ने अपील जिला कलक्टर के यहां की गई। जिला कलक्टर ने अपील सं0 4/1996 खारिज करते हुए यह निर्देश दिये कि जिस नामांतरकरण से म्होरीलाल के नाम भूमि आई है उसे चुनौती दिये बिना उसके वारिसान के नाम जो नामांतरकरण हुआ उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी मोहनलाल ने कोई अपील पेश नहीं की। यह भूमि शुरू से ही म्होरीलाल की है जो उसे धारा 19 आरटीएक्ट के तहत मिली है इसलिए उसके अन्य व्यक्ति के यहां गोद जाने पर भी इस भूमि में उसके अधिकार समाप्त नहीं हो सकते। राजस्व न्यायालय में जो दावा करना बताया है उसमें खरीद्दार को पक्षकार ही नहीं बनाया है तथा न ही उनके खिलाफ काई टी.आई. जारी है, जो टी.आई जारी बताई है वह भी सिर्फ मौके की स्थिति को यथावत रखने की है। इस प्रकार अप्रार्थी सं0 1 से 6 की खातेदारी निर्विवाद होने से अप्रार्थी सं0 7 व 8 सद्भावी खरीदार है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 21-5-2002 द्वारा दोनों अपीलें यह मत अभिव्यक्त करते हुए खारिज की कि अपीलार्थी को यदि कोई रिलीफ मिल सकती है तो राजस्व वाद में ही मिल सकती है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित उक्त

निर्णय दिनांक 21–5–2002 के विरूद्ध दो अपील संख्या–40/2005 एवं 41/2005 न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष मोहनलाल द्वारा पेश की गई, जिसे न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 25–10–2005 द्वारा निस्तारित करते हुए नामांतरकरणों को यथावत रखा।

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 25–10–2005 से व्यथित होकर ये दोनों निगरानियां इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तथाकथित विक्रय दिनांक 29–7–99 को किया गया है तथा दिनांक 31–7–99 शनिवार को पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट करते हुए दिनांक 01–8–1999 रविवार के दिन गिरदावर द्वारा जांच की जाकर व दिनांक 05–8–99 को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पंचायत बुलाये बिना तथा मौके की जांच किये बिना तथा पक्षकारों से आपत्ति लिये बगैर क्रेतागण के नाम आक्षेपित नामांतरकरण सं0 236 एवं 237 तस्दीक किये गये है, वे विधि के विपरीत है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थी के इन कथनों पर कोई ध्यान नहीं दिया कि पंचायत की मीटिंग नहीं बुलाई गई है तथा म्होरीलाल पुत्र सुखदेव का वादग्रस्त आराजी में कोई हित नहीं है। जिला कलक्टर, सीकर द्वारा नामांतरकरण सं0 144 भी निरस्त किया जा चुका है तथा विववादित भूमि के सम्बंध में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 से 6 के मध्य वाद विचाराधीन है। इन तथ्यों को दरकिनार रखते हुए उन्होंने निर्णय दिनांक 21–5–2002 पारित किया है तथा अतिरिक्त संभागीय आुयक्त ने भी इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि जब म्होरीलाल उसके वारिसान अप्रार्थी सं0 1 से 6 का अधिकार ही समाप्त हो गया है तो क्रेतागण का अधिकार कैसे वादग्रस्त भूमि पर रह सकता है। ग्राम पंचायत केवल अविवादित नामांतरकरण को ही निर्णीत कर सकती है। ग्राम पंचायत के समक्ष आपत्ति पेश करने से ग्राम पंचायत को नामांतरकरण तसं0 236 व 237 तस्दीक ही नहीं करने चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी पंचो के शपथ पत्र पेश नहीं किये जाने से जाहिर है कि नामंरतरकरण सरपंच ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से स्वीकार किये हैं। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय को ही नामांतरकरण जो कि एक फिसकल कार्यवाही है को निरस्त करना चाहिए, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी बिना जांच कराये स्वीकृत नामांतरकरण की अनुचित कार्यवाही को नहीं समझने में विधिक त्रटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावे तथा प्रकरण वापस सम्बंधित तहसीलदार को पुनः समुचित जांच कर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे तथा दावे के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये जावें।

उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में 2002 (9) आर.बी.जे. 438, 2002 (2) आर.आर.टी. 872, 2006 आर.आर.डी. 125, 2021 (1) डी.एन.जे. 672, 1993 आर.आर.डी. 608, 1984 आर. आर.डी. 174, 1973 आर.आर.डी. 13, 1985 आर.आर.डी. 170, 1994 आर.आर.डी. 499, 2001 आर.आर.डी. 242, 2006 (13) आर.बी.जे. 366, 2021 (2) डी.एन.जे. (रेव0) 1245, 2022 (2) डी. एन.जे. (रेव0) 972, 2023 (1) डी.एन.जे. (रेव) 103 तथा 1998 आर.आर.डी. 368 तथा 370 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

4– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया कि जिस दिन नामांतरकरण सं0 236 एवं 236 तस्दीक किये गये उस दिन भूमि पर कोई स्थगन नहीं था। सम्पति के पैतृक होने का कोई सबूत पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है। प्रकरण ग्राम पंचायत के समक्ष विवादित नहीं था, केवल प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष पेश करने से विवाद उत्पन्न नहीं हो जाता है। प्रार्थी द्वारा म्होरीलाल के खिलाफ विरासत की अपील पेश की थी, जो भी जिला कलक्टर द्वारा खारिज की गई है। विवादित भूमि के सम्बंध में म्होरीलाल का नाम संवत 2010 राजस्व रिकार्ड में उसका नाम दर्ज रिकार्ड है। परीक्षण न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पूर्ण विवेचित कर नामांतरकरण को विधि अनुसार तस्दीक किया जाना पाया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें इस निगरानी के जरिये हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः दोनों निगरानियां खारिज फरमाई जावे।

5– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी मोहनलाल द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर के समक्ष ग्राम पंचायत मण्डावरा द्वारा तस्दीक किये गये नामांतरण संख्या 236 व 237 के निरस्तनीकरण के संबंध में अंतर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत् प्रथम अपील पेश की गई, जिसे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 21–05–2002 के द्वारा खारिज कर दी गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील अंतर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत् न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उक्त द्वितीय अपीलों को भी जरिये निर्णय दिनांक 25–10–2005 के माध्यम से खारिज कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से प्रकट होता है कि उभय पक्षों के मध्य मूल विवाद अप्रार्थीगण के पिता म्होरीलाल के नाम विवादित भूमि गलत रूप से दर्ज होने को लेकर हैं। म्होरीलाल का स्वर्गवास होने पर जरिये नामांतकरण संख्या 144 ग्राम पंचायत मण्डावरा द्वारा विवादित भूमि सूर्यनारायण, प्रेमप्रकाश, बाबूलाल, दिनेश कुमार पुत्रगण म्होरीलाल व पूर्णी देवी बेवा म्होरीलाल के नाम दर्ज हुई, जिसकी

अपील सुमित्रा व सरोज पुत्रीयां मोहरीलाल द्वारा किये जाने पर न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 9–11–99 द्वारा नामांतकरण संख्या 144 को निरस्त कर मृतक मोहरीलाल पुत्र मंशाराम के वैधानिक वारिसान की जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। स्पष्ट है कि हस्तगत निगरानी नामांतकरण संख्या 236 व 237 के निरस्तीकरण के संबंध में पेश हुई है तथा अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि में से खसरा संख्या 92 व 96 का बेचान किये जाने पर उक्त नामांतकरण जरिये बेचान से अप्रार्थी गोपीराम, हरिराम व महेन्द्र सिंह के हक में तस्दीक हुए। चूंकि मूल वाद म्होरीलाल को मंसाराम से मिली भूमि को लेकर है, जिसमें म्होरी लाल को भूमि मंसाराम से सही मिली है अथवा गलत मिली है, इसका निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा नियमित वाद के जरिये ही किया जाना है तथा अप्रार्थीगण म्होरीलाल के वारिस है अथवा नहीं इस संबंध में कोई विवाद नहीं है। चूंकि उभय पक्षों के मध्य मूल वाद विचाराधीन होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के म्होरीलाल के नाम गलत दर्ज होने संबंधी घोषणा नहीं की जाती है, तब तक अप्रार्थीगण के पक्ष में विक्रय के आधार पर तस्दीक नामांतकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस एकल पीठ के विनम्र मत में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इसी अनुरूप अपना अभिमत प्रकट करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को सारहीन होना मानते हुए खारिज किया है। चूंकि निगरानी का दायरा अत्यंत सीमित है तथा प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य निगरानी के स्तर पर पेश नहीं किया गया है, जिससे उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जा सके। उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत अपने कथनों के समर्थन में पेश किये गये है, उनमें वर्णित तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से सुभिन्न होने के कारण पूर्णतः चस्पा नहीं होते है तथा प्रार्थी को इनसे कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को खारिज करने में कोई विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि कारित नहीं की है।

7– परिणामतः हस्तगत दोनों निगरानी याचिकाएं सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08/04/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य